(b) whether, due to transport bottlenecks, the Food Corporation of India is failing to deliver sugar quotas to West Bengal on time; and

(c) if so, whether there is any proposal to allow West Bengal's sugar quota to be lifted from mills in U.P. and Bihar?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) Major portion of the monthly levy sugar quota of West Bengal—which is a deficit State in sugar production—is met from the sugar factories in Maharashtra.

(b) Immediately after the introduction of partial control on sugar with effect from 17-12-1979 some operational difficulties arising out of transport bottlenecks were experienced, particularly due to inadequate availability of railway wagons, shortage of diesel etc., which impeded the pace of lifting/movement of sugar from the factories in the initial stages. However, subsequently, these difficuties were substantially overcome and movement of levy sugar to West Bengal by special rakes from the factories in Maharashtra and U.P. was arranged by the Food Corporation of India. This accelerated the pace of lifting from the factories and upto 31st May 1980 Food Corporation of India despatched 1,03,230 tonnes of levy sugar to West Bengal as against the total allotment of 1,40,192 tonnes of levy sugar so far made for West Bengal including June, 1980 quota of 22,018.5 tonnes.

(c) Having regard to the surplus availability of levy sugar in U.P., some stocks are lifted by the Food Corporation of India from the factories in U.P. also against the monthy quotas of West Bengal. Since Bihar is deficit in sugar and is receiving substantial quantity of levy sugar from Maharashtra to meet its requirement, it is not possible to allocate any levy sugar from Bihar for supply to West Bengal.

आवासीय माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

933. **श्री नन्द किशोर शर्मा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मान्यता प्राप्त आवासीय माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन जारी करने के लिए इस वर्ष विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मंजूर की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां मंजूर करने के लिए अपनायी गयी कसौटी क्या है तथा कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) जी हां.

(ख) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 500 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों को प्रदाम के संबंध में निम्नलिखित कसौटी अपनाई गई:

(1) 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां, अर्थात् 250 छात्रवृत्तियां उम्मीदवारों को अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर दी जाती है। अन्य 250 छात्रवृत्तियां जनसंख्या के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उम्मीदवारों को दी जाती है।

(2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत छात्रवृत्तियां आरक्षित है।

(3) जिन बच्चों के अभिभावकों की आय 500/- रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र है।

(4) चयन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर 11-12 आयु-वर्ग के बच्चों में से किया जाता है, जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों/संघ शासित

क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रारम्भिक प्रतीक्षा के निष्पादन के आधार पर की जाती है;

(5) छात्रवृत्ति शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक की अवधि के धार्य है;

(6) छात्रवृत्तियों का नवीकरण वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर किया जाता है ।

लिखने की कापियों की कमी

934. **श्री नन्द किशोर शर्मा:**
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में इस समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लिखने की कापियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कापियां ठीक समय पर मिल सकें तथा लिखने की पुस्तिकाओं की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या वे निजी विनिर्माता, जिन्हें कापियां बनाने के लिए उचित दर पर कागज प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिए गए है, सरकार को निश्चित संख्या में कापियां दे रहे है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) स्कूल के बच्चों के लिए कापियों की भारी कमी सरकार के ध्यान में नही आई है।

(ख) स्कूल के बच्चों को कापियां और पाठ्य पुस्तकें उचित दामों पर उपलब्ध हो जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के पास, राज्य सरकारों को रियायती सफेद मुद्रण कागज देने का एक कार्यक्रम है।। सरकार ने कापियां तैयार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जनवरी-मार्च, 1980 की तिमाही के लिए 19517 टन एवं अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही के लिए 14,883 टन कागज आबंटित किया है। उत्पादन सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण कापियों के लिए राज्य सरकारों की कागज संबंधी मांग को पूर्णरूपेण पूरा करना संभव नहीं हो सका है; परन्तु तत्काल और अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आबंटन कर दिया गया है । कागज प्राप्त करने, अपने पर्यवेक्षण में इसे कापियों में परिवर्तित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारी समितिय, स्कूलों और जहा कही आवश्यक हो प्राइवेट खुदरा व्यापारियों के माध्यम से इनके वितरित करने के लिए एक केन्द्रीयकृत राज्य एजेंसी आरम्भ करने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रबन्ध पर पूरी तरह से निगरानी रखें कि बच्चों को कापियां ठीक समय पर और अधिसूचित दामों पर उपलब्ध हो।

(ग) शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ प्राइवेट निर्माताओं ने राज्य एजेंसियों को निर्धारित संख्या में कापियां मुहैया नहीं की है।

(घ) सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है कि केन्द्रीयकृत राज्य एजेन्सी कागज को कापियों में परिवर्तन करने और इनके वितरण पर पूरी निगरानी रखें। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से निरीक्षण करें और उन निर्माताओं के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई करें जो समय पर या पूरी मात्रा में कापियां नुहैया नहीं करते।

Study of Garo Hills in Meghalaya by I.C.A.R.

935. SHRI P. A. SANGAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research has made any